संख्या 1/23/2012–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक – 27.09. 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः कुटुम्ब पेंशनभोगियों की जन्मतिथि/आयु के संबंध में अनुदेश।

इस विभाग ने वृद्ध पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन/ कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के लिए जन्म तिथि/आयु पर विचार करने हेतु कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08–पी. एंड पी.डब्ल्यू (ए) दिनांक 21.05.2009, 11.08.2009, 25.06.2010 और 28.09.2010, कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/19/11–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई) दिनांक 3.08.2011 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/23/2012–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई) दिनांक 13.09.2012 के अनुसार अनुदेश जारी किए हैं। कुछ विशेष दस्तावेजों उदाहरणतः पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड और यू.आई.डी.ए.आई द्वारा जारी की गई आधार संख्या को इस संबंध में स्वीकार किए जाने की अनुमति दी गई है।

2. पुराने पी.पी.ओ. में संशोधन के लिए कुटुम्ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि साफ्टवेयर में अनिवार्य मद है। इस विभाग में स्पष्टीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि क्या पी.पी.ओ. के संशोधन के समय पति/पत्नी की जन्मतिथि/आयु को स्वीकार करने के लिए ये अनुदेश लागू होते हैं।

3. एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुदेश उस समय कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु का विचार किए बिना किसी कुटुम्ब पेंशनभोगी के लिए पी.पी.ओ. को जारी करने/संशोधन के समय लागू होते हैं। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पी.पी.ओ./कार्यालय रिकार्डो में सही जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है तो एक जनवरी को कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु वही मानी जाएगी जो उसने पिछले वर्ष पूरी की है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कुटुम्ब पेंशनभोगी वर्ष 2012 में 54 वर्ष की आयु पूरी करता है तो एक जनवरी, 2013 को उसकी आयु 54 वर्ष मानी जाएगी और पी.पी.ओ. को तदानुसार संशोधित किया जाएगा।

सुजाशा चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
फोनः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/पेंशनभोगियों की एसोसिएशन।

महालेखा नियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।

केंद्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय, त्रिकूट–II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।